

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या-148/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमति सुनिति मांगीलाल करवा पत्नि मांगीलाल जाति माहेश्वरी निवासी जसवन्तगढ तहसील लाडनूं जिला नागौर हाल निवासी सूरत, गुजरात।		1. भारत संघ जरिये सचिव सडक एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। 2. निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एलए/आरओजी/पीआईयू प्लॉट नम्बर 187-188 विनायक विहार, झुझनूं बाईपास, सीकर, राजस्थान। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूं

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री दिनेश हेडा।
2. अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से वकील श्री नूर अहमद।
3. अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
- 4.

आदेश

दिनांक: 01-08-2019

1-प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के कि.मी. 72.600 से कि.मी. 112.760 (सालासर से नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ पेड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनःसंरक्षण/बाईपास और चार लेन का बनाने, आदि) के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी लाडनूं द्वारा पारित संशोधित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छ(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपटित धारा 21 माध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2-उभय पक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि-

2(1)-अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के कि.मी. 72.600 से कि.मी. 112.760 सालासर-नागौर सेक्शन के निर्माण (चौड़ा करने/पेड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनः संरक्षण/बाईपास और चार लेन का बनाने) आदि के लिए भूमि अवाप्ति के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की और भूमि अवाप्ति प्रकरण संख्या 52/2016 प्रार्थी/आवेदक के संबंध में संधारित कर उसके कब्जे काश्त की भूमि को अवाप्त करना तय किया और मौके पर निर्माण शुरू कर दिया, जिससे प्रार्थी को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई है कि प्रार्थी के कब्जासुदा स्वामित्व की सम्पत्ति कृषि भूमि व संरचना सहित उक्त भूमि का अवाप्त किया गया है, जिसके संबंध में दिनांक 26.09.2016 को मुआवजा के बाबत अवार्ड पारित किया, जिस पर प्रार्थी की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थीया के द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि का वास्तविक नाप चौप करके वास्तविक रूप से अधिग्रहित की गई भूमि के संबंध में मुआवजा राशि के लिए निवेदन किया गया। जिसके संबंध में दिनांक 24.01.2017 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सडक सीमा में आने वाली भूमि के बाबत अन्य खातेदार सहित प्रार्थीया की भूमि का नाप चौप किया, तो खसरा नम्बर 1181/789 ग्राम जसवन्तगढ में प्रार्थीया की 991 वर्गमीटर गैर मुमकिन आवासीय भूमि की रिपोर्ट तहसीलदार लाडनूं को प्रस्तुत की गई, परन्तु



दिनेश कुमार यादव
कलक्टर, नागौर

अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा इस संबंध में कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई और बड़े विलम्ब के पश्चात दिनांक 09.11.2017 को अप्रार्थी संख्या 3 ने अधिनिर्णय के छः माह के पश्चात संशोधन का प्रावधान नहीं होने का लिखते हुए अपील दायर करने के लिए प्रार्थीया को सूचित किया, जिस पर प्रार्थीया के द्वारा यह रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत किया है।

2(2)—प्रार्थी ग्राम जसवन्तगढ तहसील लाडनूं जिला नागौर के खसरा नम्बर 1181/789 गैर मुमकिन आबादी संपरिवर्तित भूमि की स्वामी एवं अधिभोगी है। उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है और उक्त भूमि में से 991 वर्गमीटर भूमि को अवाप्त की गई है, परन्तु प्रार्थीया के स्वामित्व की उक्त भूमि के संबंध में जो अर्वाड पारित किया गया है, उसमें खसरा नम्बर 1181/789 में प्रार्थीया की 0.0342 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का उल्लेख किया गया है और प्रार्थीया की भूमि के संबंध में मुआवजा राशि का निर्धारण जिस दर पर किया गया है, वो दर भी उनके द्वारा गलत प्रकार से आंकलित की गई है, क्योंकि प्रार्थीया की भूमि हाईवे पर स्थित आवासीय संपरिवर्तित भूमि है और उक्त भूमि का निर्धारण हाईवे पर स्थित आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के अनुसार वर्गफुट के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए, परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा उक्त भूमि का आंकलन मुआवजा के निर्धारण के उद्देश्य से गलत प्रकार से किया गया है एवं भूमि का क्षेत्रफल भी कम आंकलित किया गया है, जिससे उक्त मुआवजा इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

2(3)— अप्रार्थी संख्या 3 को इन तथ्यों की भली भांति जानकारी थी कि प्रार्थीया की भूमि मौके पर जिस प्रकार से 991 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उसके अनुसार प्रार्थीया को क्षेत्रफल के अनुसार भी मुआवजा नहीं दिया गया है तथा प्रार्थीया के द्वारा आवेदन भी विधि अनुसार समय पर प्रस्तुत किया था एवं अर्वाड के चार माह के भीतर उक्त स्थिति की मौका रिपोर्ट भी अप्रार्थी संख्या 3 के पास प्रस्तुत हो चुकी थी, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी कारण के उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर संशोधित अर्वाड जारी नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी पत्र दिनांकित 09.11.2017 में नहीं बताया है एवं इस पत्र में छः माह की अवधि के पश्चात सक्षम अधिकारी के द्वारा संशोधन करने का प्रावधान नहीं होने का लिखा है। जबकि चार माह के भीतर उक्त मौका रिपोर्ट आना और उसके बावजूद भी समय पर संशोधन करके मुआवजा राशि प्रार्थीया को नहीं देना स्पष्टतः प्रार्थीया के साथ अन्याय है, तो ऐसी स्थिति में उक्त वास्तविक राशि में से अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि के अंतर पर विधि अनुसार प्रार्थीया ब्याज, शास्ती, सोलेसियम राशि व अन्य अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है।

2(4)— भूमि अवाप्ति के संबंध में हस्तगत प्रयोजनार्थ प्रार्थी की कितनी भूमि के अवाप्ति की आवश्यकता है, इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही कर इस निर्णय पर पहुंचे बिना अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जाना विरुद्ध है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और किसी भी स्तर पर अवाप्ति से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना की गई है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त कार्यवाही व निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रार्थी को न तो कोई नोटिस प्रेषित किया गया और गलत रूप से प्रभावित व्यक्तियों ने आपत्ति प्रस्तुत की है, का अंकन करते हुए केवलमात्र प्रावधानों की खानापूर्ति हो सके, इसलिए एर्वाड कार्यवाही में सूचना दिये जाने का गलत तथ्य अंकित किया गया है।

2(5)— भूमि अवाप्ति अधिकारी का अर्वाड पारित करने से पूर्व यह विधिक दायित्व था कि वो अर्वाड की जाने वाली भूमि को मौके पर चिन्हित करते हुए यह सुनिश्चित करते कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की किस माप और क्षेत्रफल की भूमि की आवश्यकता तथाकथित प्रयोजनार्थ जरूरी है, जिसकी पालना नहीं करके आर्बिट्रेरी रूप से अर्वाड पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)— भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया से अर्वाड पारित किया गया है कि जिसमें न तो कोई व्यक्ति उनके समक्ष अपना पक्ष रख सका, सबूत प्रस्तुत कर सका, जिसके अभाव में अवाप्ति अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रभावित व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये



17
अर्वाड, नागौर

एकतरफा कार्यवाही करे। प्रभावित व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है, उसे आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और तत्पश्चात साक्ष्य सबूत का अवलोकन कर इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार ऐसा अवसर प्रदान किये बिना की गई कार्यवाही और इस संबंध में पारित किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी की भूमि उपजाऊ भूमि हैं एवं वर्तमान हाईवे जो कि लाडनू से बांठडी होते हुए बड़ी खादू जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ही स्थित हैं, यदि भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों पर विचार करते हुए दस्तावेज का भी यदि अवलोकन करते तो प्रार्थी की भूमि का मुआवजा कम दर पर निर्धारित नहीं किया जाता, प्रार्थी की भूमि वेशकीमती अत्यधिक उपजाऊ भूमि हैं, इसलिए प्रार्थी की भूमि के संबंध में निर्धारित किया गया अवार्ड पुर्ननिर्धारित किये जाने योग्य है।

2(7)— हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 3उ (1) के तहत सूचना पत्र के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रार्थी को यह जानकारी हुई है कि अवाप्त की गई भूमि व उस भूमि पर स्थित संरचना की राशि का निर्धारण किया जा चुका है और कब्जे की मांग की गई है, जिसके द्वारा ही प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है।

2(8)— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 3छ (1) व (2) के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण करने से पूर्व धारा 3छ (3) के प्रावधानों की पालना आवश्यक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा मुआवजा निर्धारण आदेश प्रार्थी से बिना क्लेम आमंत्रित किये एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जिस कारण प्रार्थी अपना क्लेम, क्लेम निर्धारण से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर पाये और प्रार्थी उक्त कारण से अपने अधिकारों से वंचित रहा है।

2(9)— भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 3छ (1) (2) के अन्तर्गत पारित निर्धारण आदेश की नकल से प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी के खेत से जो भूमि अवाप्त की गई है, उस भूमि का मुआवजा निर्धारित सही ढंग से नहीं किया गया है। जिससे भी अवार्ड संशोधित व परिवर्द्धित किये जाने योग्य है।

2(10)— भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अवार्ड पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मनमाने ढंग से डीएलसी की रिपोर्ट प्राप्त की और अधिनियम में वर्णितानुसार कोई साक्ष्य नहीं ली व प्रार्थी व अन्य हितधारी व्यक्तियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया। जिन आधारों पर अवार्ड राशि का निर्धारण किया गया है, वह मौकों पर स्थित भूमि के नाप चौप, संरचना, नेशनल हाईवे से दूरी, भौगोलिक स्थिति इत्यादि की स्थिति के विपरीत हैं।

2(11)— भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवाप्ति में प्रार्थी को अधिक मुआवजा नहीं देना पड़े, इसलिए कृषि भूमि की डीएलसी मंगवाकर पश्चातवर्ती मदों में वर्णित अनुसार अवाप्ति कार्यवाही केवलमात्र दिखावे के लिए की है और अवाप्ति की कार्यवाही में स्वच्छ न्यायिक आचरण की पालना नहीं की है। हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी का नैतिक और विधिक दायित्व था कि वह उभय पक्षकारान को साक्ष्य सबूत और सुनवाई का मौका प्रदान कर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों और अधिनियम के अनुसार बाजार दर के आधार पर अवाप्ति की कार्यवाही अमल में लाता। भूमि अवाप्ति अधिकारी की जानकारी में यह था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि डीएलसी की दरें केवल मात्र राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन की गणना हेतु मान्य हैं। डीएलसी के आधार पर किसी भी अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है कि मुआवजे का निर्धारण किया जा सके। जिस विधिक दृष्टि को नजर अंदाज करते हुए जानबूझकर गलत अवार्ड पारित किया गया है।

2(12)— भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड में मनमाने ढंग से डीएलसी दरों व वर्तमान प्रचलित वास्तविक बाजार दरों की तुलना को बिना कोई साक्ष्य, सबूत और सुनवाई के आधार पर डीएलसी दर पर मुआवजे का निर्धारण किया है, जो किसी भी सूरत से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके



[Handwritten signature]
नवीन

अतिरिक्त भूमि कृषि कार्य हेतु अवाप्त नहीं की गई हैं, इसलिए डीएलसी दर पर मुआवजे का सही निर्धारण नहीं किया जा सका है।

2(13)— भूमि अवाप्ति अधिकारी ने डीएलसी दरों की सूचना हेतु उप पंजीयक कार्यालय से डीएलसी दरें प्राप्त की और केवलमात्र डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा राशि की गणना की है। बाजारू दर का निर्धारण किये बिना मुआवजे का निर्धारण ही नहीं किया जा सकता। भूमि अवाप्ति के प्रकरण में न्यायिक विवेक काम में नहीं लिया गया है, केवलमात्र सरसरी तौर से डीएलसी रेटों के आधार पर मनमाने ढंग से अवार्ड का निस्तारण किया गया है, जिससे अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2(14)— प्रार्थी की भूमि का मुआवजा अत्यन्त कम निर्धारित किया गया है तथा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर्स आदि का निर्धारण ही नहीं किया गया है, यदि भूमि अवाप्ति के दौरान डीएलसी दरों के स्थान पर वास्तविक बाजारू मूल्य के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाता तो अकाटय साक्ष्य के द्वारा उनके समक्ष यह स्थिति प्रकट की जा सकती थी कि जिस भूमि को अवाप्त किया जा रहा है वह भूमि बहुत बहुमूल्य किस्म की है, इस दृष्टि से प्रार्थी को सोलेसियम और इस पर वर्णित ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकार था, जिसको नजर अंदाज करते हुए वर्तमान कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2(15)—यदि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने बाजारू मूल्य के आधार पर अवाप्ताधीन भूमि का विनिश्चय नहीं किया है और केवलमात्र डीएलसी रेट के आधार पर अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे का विनिश्चय किया है, तो उन्हें हस्तगत भूमि के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी होने के आधार पर उन सभी मापदण्डों को उपयोग में लेना चाहिए था, जिनको कि सम्पत्ति के विक्रय के समय पंजीयन के दौरान काम में लिया जाता है अर्थात् सर्वप्रथम तो हस्तगत भूमि का निर्धारण बाजारू मूल्य के आधार पर करते हुए इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई होने के आधार पर व्यावसायिक मानकर व्यावसायिक दर के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाना जरूरी था, जिससे अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे का पुर्ननिर्धारण किया जाना न्यायोचित है।

2(16)— वकील प्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार फरमाया जाकर अवार्ड दिनांक 26.09.2016 को निम्नानुसार संशोधित/परिवर्तित करते हुए नया अवार्ड पारित करने का कथन करते हुए प्रार्थीया की अवाप्तशुदा वास्तविक भूमि 991 गैर मुमकिन आवासीय संपरिवर्तित भूमि का हाईवे के पास स्थित आवासीय भूमि के आधार पर प्रति वर्गफुट के आधार पर पुननिर्धारित किया जावे एवं इसी अनुसार अन्य राशि का आंकलन किया जावे। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा अत्यन्त कम निर्धारित किया गया है तथा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर्स, पूर्व से स्थित एनएच से दूरी का मुआवजा निर्धारित ही नहीं किया गया है, जिससे उनका पुर्ननिर्धारण किया जाकर मुआवजा दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि के बाजारू मूल्य का निर्धारण किया जाकर बाजारू मूल्य के आधार पर सोलेसियम व इन दोनों पर वर्णित ब्याज व उक्त राशि दिलवाई जावे। अवाप्ति की अधिसूचना से सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलवाया जावे। भूमि अवाप्ति की स्थिति विकास, तकनीकी रूप से उपजाउपन विकसित करने के कारण प्रार्थी को अतिरिक्त सोलेसियम दिलवाया जावे एवं अन्य अनुतोप जो देय हो, प्रदान किये जाने का वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में सिविल मिस. अपील संख्या 19-29/2010 प्रोजेक्ट डाईरेक्टर, एन.एच.ए. ऑफ इण्डिया बनाम रतनलाल मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली निर्णय दिनांक 05.02.2019 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

3—वकील अप्रार्थीगण श्री नूर अहमद ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम जसवन्तगढ़ के खसरा नम्बर 1181/789 में से 0.0342 गैर मुमकिन आवादी अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में 12,04,780/- मुआवजा का निर्धारण किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 1181/789 की मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी के खाते में जमा करा दी गई है।



54
अवार्ड, नया

3(1)—प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीया को अवाप्ती से संबंधित सूचनाएँ नहीं दी गईं इस कारण प्रार्थीया द्वारा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष अवाप्ती से संबंधित अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं कर सका जबकि वास्तविकता यह है कि भूमि की अवाप्ति के संबंध में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं के प्रत्येक क्रम में सूचनाओं का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर भूमि के संबंध में प्राप्त होने वाले आपत्तियों का निस्तारण करते हुये भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2015 एवं 11.03.2016 को भूमि अवाप्ति से संबंधित नोटिफिकेशनस का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया तथा आपत्तियाँ मंगायी गयी जिसमें कुल 29 आपत्तियाँ प्राप्त हुईं और उनका निस्तारण किया गया यदि प्रार्थीया द्वारा सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना अवार्ड जारी किये जाने बावत आपत्ति प्रस्तुत कि जाती है तो वह वेवुनियाम है इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)—प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल इसी आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा निर्धारण ग्राम जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं में प्रचलित डी.एल.सी. दरों व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को अनदेखा किया गया है। जबकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 26.09.2016 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि की डी.एल.सी. दर अंकित की गई है। इसलिए प्रार्थीया का कथन सत्यता एवं रिकार्ड से परे है। अवार्ड डी.एल.सी. दर से किया गया है।

3(3)—प्रार्थीया की अवाप्ताधीन भूमि रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। जिसके अनुसार कुल 0.0342 भूमि का अधिकरण किया गया है। रेवेन्यू रिकार्ड मके आधार पर उक्त भूमि का प्रकार निजी एवं प्रकृति गैर मुमकिन आवासीय अंकित है। प्रार्थीया की अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा गैर मुमकिन आवासीय के आधार पर किया गया है तथा मुआवजे का निर्धारण गैर मुमकिन आवासीय की दर से किया गया है। मुआवजे का निर्धारण प्रार्थीया की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 दिये गये प्रावधानों के अनुसार अवाप्त की गई है।

3(4)—सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा निर्धारित किया है। उक्त भूमि की मुख्य सड़क से दूरी के संबंध में प्रार्थीया द्वारा कोई दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया ना ही प्रार्थीया द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज भूमि की स्थिति के अनुसार भूमि का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा तय किया गया है जो विधि के दिये गये प्रावधानों के अनुसार है।

3(5)—अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा विधि अनुसार समय समय पर नोटिफिकेशनस स्थानीय समाचार पत्रों में हितधारी व्यक्तियों के विवरण के साथ साथ भूमि की प्रकृति, प्रकार एवं क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से अंकित कर किया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ती के प्रत्येक चरण पर सूचनाओं का प्रकाशन स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाया तथा प्रकाशन किये जाने के पश्चात कुल 29 आपत्तियाँ सक्षम प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष अन्य व्यक्तियों जो कि अवाप्ताधीन भूमि में अपना हित रखते हैं द्वारा प्रस्तुत की गईं। उक्त आपत्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा हितधारी व्यक्तियों को अलग से या व्यक्तिगत सूचनाएँ प्रेषित नहीं की गई थी। सूचनाओं का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था उन्ही के आधार पर हितधारी व्यक्तियों द्वारा अपनी आपत्तियाँ सक्षम प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं, जिनका विधि अनुसार निस्तारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय भूमि की किस्मों के अनुसार भूमि की डी.एल.सी. दर व उस भूमि के निकट ग्राम/शहर के गत तीन वर्ष के




जि.क.रा.नरनाल

विक्रय लेख पत्र व इकरारनामे की औसत, में से अधिक दर से मार्केट वेल्यू ऑफ लेण्ड का निर्धारण किया है। भूमि का मुआवजे का निर्धारण तत्समय प्रचलित डी.एल.सी दर के अनुसार किया गया है।

3(6)—प्रार्थीया की भूमि के मुआवजे का निर्धारण करने से पूर्व उस क्षेत्र में प्रचलित डी.एल.सी दर व पंजीयन कार्यालय द्वारा पिछले 3 वर्षों में किये गये पंजीयन से संबंधित जानकारी के आधार पर किया गया है। उक्त सभी सूचनाएँ सरकारी दस्तावेज हैं, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपने मन मुताबिक बदली या परिवर्तित नहीं की जा सकती उक्त सभी सूचनाओं को सरकारी रिकार्ड होता है। उसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया गया है।

3(7)—सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति के संबंध में एकपक्षीय कार्यवाही न अपनाकर पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया है। भूमि की सरंचना के संबंध में भूमि पर स्थित निर्माणों का सही आंकलन कर भूमि की सरंचना का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा दिया गया है। अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 व RFCTLARR Act 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की गई है। भूमि का मुआवजा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज भूमि के संबंध में जानकारी के आधार पर व प्रचलित डी.एल.सी. रेट एवं भूमि के क्रय विक्रय करने का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार लाडनू पंजीबद्धकर्ता है जिनसे इस संबंध में पूछताछ की गई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 व RFCTLARR Act 2013 की धारा 26 के तहत भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में दिये गये प्रावधानों की अक्षरशः पालना की गई है। जहां तक प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भूमि के मुआवजे के निर्धारण के संबंध में गुणांक को लेकर प्रश्न किया गया है इस संबंध में यह बताना उचित होगा की अप्रार्थी द्वारा पूर्व में अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में देय प्रतिकर मल्टीप्ले फेक्टर 2.00 का फार्मूले से मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया गया था किन्तु राजस्थान सरकार राजस्व विभाग (गुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज.6/2011/पार्ट/26/जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से आवाप्ती हेतु प्रस्तावित दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पेकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को गुणांक से गुणा किया गया। पूर्व में गलत गुणांक से गुणा किया गया था बाद में उक्त खसरा नम्बर की भूमि की स्थिति देखकर सही गुणांक से गुणा कर मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अप्रार्थी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई कोताई नहीं बरती गई।

3(8)—सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2016 को जारी किया गया अवाई ही अंतिम अवाई है, जो कि पूर्णरूपेण विधि अनुसार जारी किया गया है। प्रार्थीया के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, जो कि सरकारी आंकड़ों व सब रजिस्ट्रार पंजीयन कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा भूमि कम मूल्यांकन निर्धारित करना साथ ही व्यवसायिक दर के आधार पर मुआवजे का निर्धारण करना निराधार है एवं प्रार्थीया किसी प्रकार का कोई अनुतोष मिन अप्रार्थी के विरुद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने का कथन करते हुए वकील अप्रार्थी श्री नूर अहमद ने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र मय हर्जा-खर्चा खारिज किये जाने के का निवेदन किया है।

4- राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में कथन किया कि ग्राम जसवन्तगढ़ के खसरा नम्बर 1181/789 रकबा 1 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय प्रयोजनार्थ की प्रार्थीनी सुनिति खातेदार के नाम से है। उक्त खसरा नम्बर में से एन.एच. 65 बाईपास हेतु भूमि अवाप्त हुई है। मुआवजा सूची में प्रार्थीया का नाम है तथा 342 वर्गमीटर भूमि अवाप्त दर्शाई गई है। जारी अवाई के अनुसार 342 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी की अवाप्त हुई है। पूर्व में हल्का जसवन्तगढ़ के खसरा नम्बर 789, 1147/781, 1148/781, 1181/789, 1149/781 एवं 1150/781 में अवाप्त भूमि में अन्तर पाये जाने पर एवं तत्समय नक्शा लट्टा में तरमीम नहीं होने के कारण पटवारी जसवन्तगढ़ द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें प्रार्थी की 991 वर्गमीटर भूमि एन.एच.65 में गई हुई बताई गई। प्रस्तुत रेफरेंस के कम में




डायरेक्टर, नम्बर

तहसीलदार लाडनूँ से खसरा नम्बर 1181/789 के पुनः अवाप्ताधीन भूमि की जाँच करवाई गई। तहसीलदार लाडनूँ की रिपोर्ट के अनुसार नक्शा लट्टा में खसरा नम्बर 789 में तरमीम की हुई है तथा तरमीम अनुसार प्रार्थी सुनिति के उक्त खसरे में से एन.एच. 65 हेतु अवाप्त भूमि 540 वर्गमीटर भूमि आती है।

4(1)—प्रार्थी के खसरा नम्बर 1181/789 जारी अवार्ड सूची में 342 वर्गमीटर भूमि अवाप्त बताई गई है जबकि नक्शा लट्टा में तरमीम अनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी की 540 वर्गमीटर भूमि अवाप्त होती है। जिस समय भूमि अवाप्ति हेतु नक्शा स्कैन हुआ, उस समय नक्शा लट्टा में तरमीम नहीं थी व उसके बाद खसरा नम्बर 789 में सभी बट्टा नम्बर में से अवाप्त होने वाली भूमि अवार्ड सूची में है। वर्तमान नक्शा लट्टा अनुसार अवाप्त भूमि व अवार्ड सूची में अवाप्त भूमि में 198 वर्गमीटर का अन्तर है।

4(2)—नक्शे तरमीम नहीं होने से खसरा नम्बर 1181/789 की कितनी भूमि अवाप्त होनी चाहिए, उसका निर्धारण नहीं हो पाया जो अब तरमीम युक्त नक्शा अनुसार किये जाने योग्य है।

4(3)—प्रार्थी को अवार्ड सूची में 342 वर्गमीटर भूमि अवाप्त बताई गई है, जिसके आवासीय दर 3522.74 रुपये प्रति वर्गमीटर (आवासीय डी.एल.सी. दर एवं निर्धारित गुणक तथा 3ए के अन्तिम प्रकाशन से पारित अवार्ड दिनांक तक का ब्याज व सोलिसियम सहित) राशि रुपये 12,04,780/-रुपये का भुगतान कर दिया गया है, जबकि नक्शा लट्टा अनुसार 540 वर्गमीटर भूमि अवाप्ति में आती है। अतः कम अवाप्त बताई गई भूमि 198 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा भुगतान का प्रार्थी हकदार है। प्रार्थी को 198 वर्गमीटर भूमि का ओर मुआवजा डी.एल.सी. दरों से दिया जाना उचित है।

4(4)—भूमि अवाप्ति का नोटिफिकेशन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ व आपत्तियां मांगी गईं और सुनवाई का उचित अवसर दिया गया। भूमि राजस्व रिकार्ड में आवासीय भूमि है व हाईवे से दूर स्थित है। उसी अनुसार नियमानुसार डीएलसी दर के आधार पर अवार्ड का निर्धारण किया गया है।

5—वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ससम्मान अवलोकन किया। जिसके अनुसार—

5(1)—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 कि.मी. 72.600 से कि.मी. 112.760 तक के भूखण्ड (सालासर से नागौर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनः संरेखण/वाईपास और चार लेन का बनाने, आदि) के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 18.02.2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए संशोधित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 को जारी किया गया है। उक्त संशोधित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 के तहत इस प्रकरण में ग्राम जसवन्तगढ़ के खसरा नम्बर 1181/789 में से 0.0342 हेक्टेयर भूमि गैर मुमकिन आवासीय किस्म का अवाप्त भूमि आदि का कुल मुआवजा 12,04,780/-रुपये का प्रार्थीया के पक्ष में निर्धारित किया गया।

5(2)—संशोधित अवार्ड 26.09.2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 18.02.2015 का दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दी टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 26.05.2015 को प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर अनुज्ञात कर दिया। तदुपरान्त केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3डी की दिनांक 02.02.2016 को अधिसूचना जारी की जिसका दो समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दी टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 11.03.2016 को प्रकाशन करवाया गया एवं एक विज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ के कार्यालय के क्रमांक-राजस्व/16/67 दिनांक 03.03.2016 को जारी कर अवाप्ताधीन भूमि के हितधारकों की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमंत्रित की गईं एवं इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां एवं दावे का निस्तारण कर दिया गया। मगर तत्समय प्रार्थी द्वारा सक्षम




अवाप्त, नामी

अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन ठोस आधार पर नहीं है।

5(3)— हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उप पंजीयक से डीएलसी दर प्राप्त की और केवल मात्र डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा राशि की गणना करने एवं बाजारू दर का निर्धारण किये बिना मुआवजे का निर्धारण नहीं करने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि की विशिष्ट, विधिक एवं तकनीकी आधार युक्त बाजार दर का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है तथा न ही अपनी बहस में ऐसी कोई विशिष्ट, विधिक एवं तकनीकी आधार युक्त बाजार दर बताई गई है। जबकि हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा संबंधित उप पंजीयक द्वारा अवाप्त की जा रही भूमि के ग्राम की डी.एल.सी. दर व उस ग्राम के गत तीन वर्षों के विक्रय लेखपत्र व इकरारनामों की औसत, में से अधिक दर से मार्केट वेल्यू जो कि धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 26.05.2015 को प्रभावी होने से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26ए तथा इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 के अनुसार डी.एल.सी. दर को आधार मानकर अवाप्तशुदा भूमि की प्रचलित बाजार दर से मुआवजे का निर्धारण किया गया है। उक्तानुसार निर्धारित दर किस प्रकार गलत है, इसके सम्बन्ध में भी वकील प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

5(4)— हस्तगत प्रकरण में पारित संशोधित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 के अनुसार प्रार्थी की 0.0342 हैक्टर गैर मुमकिन आवासिय भूमि अवाप्त होना एवं उसके सम्बन्ध में मुआवजा का निर्धारण किया जाना बताया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 991 वर्गमीटर भूमि आवासिय संपरिवर्तित भूमि अवाप्त की जाना बताया जिस पर उक्त संबंध में प्रकरण में प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लाडनू से रिपोर्ट चाही गई जिसमें तहसीलदार लाडनू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक-623 दिनांक 15.04.2019 के साथ मौका फर्द मय नजरी नक्शा इस न्यायालय को प्रेषित किया है। मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 के अनुसार खसरा नम्बर 1181/789 में से 948.56 वर्गमीटर भूमि मौके पर अवाप्त हुई है, जिस पर सड़क बनी हुई है। रेकार्ड अनुसार जारी अवार्ड अनुसार खातेदारी सुनिति पत्नी मांगीलाल की भूमि 342 वर्गमीटर अंकित की गई है, जो कि गलत है। साथ ही अवार्ड में खसरा नम्बर 1193/789 में से 321 वर्गमीटर भूमि अवाप्त होना अंकित है जबकि मौके पर यह भूमि खसरा नम्बर 1181/789 के दक्षिण में व सड़क से दूर है तथा 1193/789 में से कुछ भी मौके अनुसार अवाप्त नहीं हुई है, जो कि नजरी नक्शों में अंकित है। तहसीलदार लाडनू द्वारा उक्त पत्र दिनांक 15.04.2019 के साथ वेणी प्रसाद पुत्र जवाहर मल जाति ब्राह्मण निवासी जसवन्तगढ़ एवं सुनिति पत्नी मांगीलाल करवा जाति महेश्वरी निवासी जसवन्तगढ़ तहसील लाडनू का सहमति पत्र दिनांक 25.02.2019 भी इस न्यायालय को भिजवाया है। उक्त सहमति पत्र के अनुसार अवाप्त भूमि सूची में खसरा नम्बर 1181/789 में से 342 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 1193/789 में से 321 वर्गमीटर भूमि दर्ज है, जबकि मौके पर खसरा नम्बर 1193/789 में सड़क में भूमि नहीं गई है, व खसरा नम्बर 1181/789 में से 948.56 वर्गमीटर भूमि अवाप्त होती है, जो राजस्व टीम की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 में भी दर्ज है। खसरा नम्बर 1181/789 के खातेदार सुनिति पत्नी मांगीलाल करवा है तथा खसरा नम्बर 1193/789 के खातेदार वेणीप्रसाद पुत्र जवाहर मल ब्राह्मण है, चूंकि खसरा नम्बर 1193/789 में से मौका अनुसार भूमि अवाप्त नहीं होती है अतः मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं व खसरा नम्बर 1181/789 में से अधिक भूमि जा रही है, उक्त मुआवजा खसरा नम्बर 1181/789 के खातेदार को मिलना चाहिए, जिससे हम दोनों खातेदार पूर्ण रूप से सहमत हैं तथा न ही किसी प्रकार की उजर आपत्ति की जावेगी। इस प्रकार उपरोक्तानुसार मौका फर्द मय नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की हस्तगत प्रकरण में खसरा नम्बर 1181/789 में से 948.56 वर्गमीटर भूमि मौके पर अवाप्त होना साबित है। परन्तु संशोधित अवार्ड में प्रार्थी की 0.0342 हैक्टर गैर मुमकिन आवासिय भूमि अवाप्त होना बताया गया है।




जयपुर जिला अधिकारी

परन्तु उक्त संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3छ की उप-धारा-5 के अनुसार उप-धारा 1 व 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं है तो रकम किसी पक्षकार के आवेदन पर मध्यस्थ द्वारा अवधारित किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत मध्यस्थ न्यायालय को अवार्ड में उल्लेखित भूमि से कम अथवा ज्यादा भूमि अवाप्त होने के संबंध में विनिश्चय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। किसी राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु की गई BULK ACQUISITION के दौरान कोई प्लॉट/भूखण्ड अवाप्ति से छूट गया हो तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक-NH-11011/30/2016-LA दिनांक 15.03.2016 के तहत प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है। अतः उक्त संबंध में अप्रार्थी संख्या-2 को विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है।

5(5)-हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में नियमानुसार कारक 1.25 से गुणित करते कारक का लाभ दिया गया है। उक्त राशि के बराबर राशि का सोलिशियम राशि दी जाकर प्रार्थी को लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त 3ए की अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तिथि से अवार्ड घोषणा की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रार्थी को 489 दिनों का अतिरिक्त प्रतिकर का भी अवार्ड में निर्धारण किया गया है।

6-उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। परन्तु अप्रार्थी संख्या-2 निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एलए/आरओजी/पीआईयू प्लॉट नम्बर 187-188 विनायक विहार, झुझनू बाईपास, सीकर, राजस्थान को इस आदेश के पैरा संख्या-5(4) में किये गये विवेचन के सन्दर्भ विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या-2(दो) को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया।



(दिनेश कुमार यादव)
मध्यस्थ एवं जिला कलेक्टर
नोएडा, नोएडा